

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट सं०-275, दिनांक: 07-09-2021

उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29-07-2018 को आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार चल रहे रू० 25,000/-का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गनेश प्रसाद एस०टी०एफ० द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 05-09-2021 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29-07-2018 को आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार चल रहे रू० 25,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गनेश प्रसाद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

गनेश प्रसाद पुत्र स्व० मोहन प्रसाद निवासी ध्रुवपल निकट हिन्दी स्कूल, राधानगर, थाना हीरापुर, जनपद प० वर्धमान, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी:

01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

राधा नगर क्रासिंग के पास थाना हीरापुर जनपद प० वर्धमान (पं० बंगाल)। दिनांक 05-09-2021

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को आरूट कराने वाले आपराधिक गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में वाराणसी एसटीएफ इकाई के निरीक्षक श्री अनिल सिंह द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार चल रहे रू० 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी गनेश प्रसाद पश्चिम बंगाल के जनपद पश्चिम वर्धमान में लुक-छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एस०टी०एफ० टीम द्वारा पश्चिम वर्धमान में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी। दिनांक 05-09-2021 को अभिसूचना संकलन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त गनेश प्रसाद राधा नगर क्रासिंग के पास आने वाला है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर एस०टी०एफ० टीम द्वारा राधा नगर क्रासिंग से गनेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन लोगों का एक संगठित गैंग है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर जहाँ छपता है वहीं से ये लोग लेकर पेपर को आऊट करा लेते हैं, फिर पहले से तैयार अभ्यर्थियों को एक स्थान पर एकत्रित करके उनको प्रश्नों का उत्तर रटवा दिया जाता है, जिसके बदले में उनसे मोटी रकम वसूली जाती है।

उ०प्र० लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा एल०टी० ग्रेड 2018 की परीक्षा आयोजित की गयी थी। इनके गैंग के अजीत चौहान और अजय चौहान ने अभ्यर्थियों को तैयार कर लिया तथा उनसे 1-1 लाख रूपये एडवान्स लिया था तथा परीक्षा के बाद 11-11 लाख रूपया देने की बात तय हुई थी। विश्वास के लिये अभ्यर्थियों से उनका हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले लिया गया था। इन लोगों का सम्पर्क कोलकता के कौशिक कुमार कर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर छापने वाले ब्लोसिंग स्ववायर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी प्रेस के संचालनकर्ता से था। कौशिक कुमार कर के मुख्य सहयोगी अशोक देव चौधरी, गणेश और रंजीत आदि थे। यही लोग प्रश्नपत्रों को लेकर आते-जाते थे। ये सभी एल०टी० ग्रेड परीक्षा के एक दिन पूर्व वाराणसी आकर होटल में रुके थे। होटल में ही हिन्दी और सामाजिक विषय के प्रश्नपत्र का उत्तर तैयार कर लिया था। इस परीक्षा के प्रत्येक विषय में 150-150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नपत्र में से मात्र 120 प्रश्नों का ही उत्तर तैयार कर अभ्यर्थियों को रटवा गया था, ताकि कोई अभ्यर्थी पूरा का पूरा प्रश्नपत्र हल कर परीक्षा को टॉप न कर जाये। इससे रिजल्ट आने पर शक हो जाने की संभावना थी। परीक्षा के एक दिन पहले संबंधित अभ्यर्थियों को यू०पी० कॉलेज गेट के पास बुलाया गया था और वहीं से सभी अभ्यर्थियों को शैलेन्द्र पटेल के जनपद वाराणसी के थाना चोलापुर क्षेत्रान्तर्गत दसनी गांव स्थित कौशल विकास केन्द्र ले जाया गया था। वहीं पर अगले दिन होने वाली परीक्षा के हिन्दी व सामाजिक विषय का प्रश्नपत्र एवं उसका उत्तर अभ्यर्थियों को रटवा गया। इसके बाद प्रश्नपत्र व उत्तर कुंजी लेकर वहीं पर जला दिया गया था परन्तु अशोक चौधरी ने इसका विडिया चोरी से बना लिया था।

उल्लेखनीय है कि बाद में गैंग के सदस्य अशोक देव चौधरी द्वारा शिकायत करने पर इसकी जांच एस०टी०एफ० उ०प्र० द्वारा सम्पादित की गयी तथा ब्लोसिंग स्ववायर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी प्रेस के संचालनकर्ता कौशिक कुमार कर आदि के विरुद्ध दिनांक 28-05-2019 को जनपद वाराणसी के थाना चोलापुर पर मु०अ०सं० 172/2019 धारा 406, 409, 420, 120बी, भादवि व धारा 7,8,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त गणेश प्रसाद फरार चल रहा था। इसके ऊपर जनपद वाराणसी से रू० 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे दिनांक 05-09-2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 06-09-2021 को सी०जे०एम० न्यायालय प० वर्धमान (प०बंगाल) में प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 08-09-2021 तक के ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिया गया है।

उपरोक्त अभियुक्त को थाना चोलापुर वाराणसी पर पंजीकृत उक्त मुकदमें में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।